

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

17/3/15

क्रमांक : एफ 11-3/2015/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 2015

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- वित्त विभाग की अनुमति के बिना राज्य की संचित निधि से राशि आहरित कर बैंक खातों में जमा करने के संबंध में।

संदर्भ- वित्त विभाग ज्ञाप क्र.284/571/नि/चार, दिनांक 20.5.1982 एवं ज्ञाप क्र.11-1/2009/नियम/चार, दिनांक 10 फरवरी, 2009



मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 284 में यह उल्लेख है कि राज्य की संचित निधि से राशि का तभी आहरण किया जाना चाहिये जब भुगतान की देयता निर्मित हो जाये।

2/ वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतिम दिवसों में बजट आवंटन व्यपगत होने से बचाने के लिये राशि का आहरण कर राशि बैंक खातों में जमा नहीं किया जाना चाहिये। यदि शासकीय धन का उचित उपयोग 31 मार्च, 2015 तक संभव नहीं है, तो राशि समर्पित की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015-16 के लिए बजट नियंत्रण अधिकारियों को उनकी आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध कराया गया है।

3/ माह मार्च के दौरान शासन के विरुद्ध देयता उत्पन्न न होने की स्थिति में राशि के आहरण से संबंधित प्रकरणों का विशेष अंकेक्षण कराया जायेगा। देयता उत्पन्न होने के बावजूद आहरण कर राशि बैंक खातों में जमा किये जाने को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा तथा संबंधित आहरण एवं संवितरण

अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। समस्त जिलाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों से अपेक्षा है कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अजय नाथ) 14.03.2015

अपर मुख्य सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल
26. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
27. गार्ड फाईल

को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग